



प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम कपकोट, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3255 हे० आरक्षित वनभूमि, 0.297 हे० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.735 हे०) अर्थात् कुल 4.287 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोथिंग द्वारा दिनांक 27.11.2016 को सम्मेलन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अधवा किसी गैर आदिवासी, का कच्चा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। सम्बन्धित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अधवा गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथिंग के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि गौरीनिर्गविर्गकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा नसक सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव ग्राम सचिव

पोथिंग

वि० सं० १०११११ जनपद लो० १०११११

ह०/- देवी

ग्राम सचिव

ग्राम सचिव पोथिंग

वि० सं० १०११११ जनपद (बागेश्वर)

नोट- यदि किसी आदिवासी अधवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका निवारण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 27-11-16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पोथिंग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	लोकपाल सिंह ब्रह्म	भोक्कपाल सिंह
(2)	अचन सिंह	मदन सिंह
(3)	भाटन सिंह	भाटन सिंह
(4)	बलराम सिंह	बलराम सिंह
(5)	राम सिंह	
(6)	बेम सिंह	
(7)	बुधन सिंह	
(8)	नरक सिंह	

ह0/ प्रमान
ग्राम पंचायत पोथिंग
सि० सं० कपकोट (वागेकर)

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम कपकोट, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3.255 हे० आरक्षित वनभूमि, 0.297 हे० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.735 हे०) अर्थात् कुल 4.287 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली द्वारा दिनांक 28/10/16 का सम्पूर्ण ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि सि० व० रोड निर्माण प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य व सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव अनिल कुमार अधिकारी

वि० व० रोड निर्माण

ह०/-

विमल देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत तोली
जिला कपकोट (बागेश्वर)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोज्य एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 28/10/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	बलवन्त सिंह साठ मान सिंह	बलवन्त सिंह
(2)	हरीश सिंह कल्याण साठ प्रेम सिंह	हरीश सिंह
(3)	दुर्गा सिंह साठ राम सिंह	दुर्गा सिंह
(4)	लोकापाल सिंह साठ कितर सिंह	लोकापाल सिंह
(5)	केलाश-चन्द साठ मोहन चन्द	केलाश चन्द
(6)	रघुपाल सिंह साठ राम सिंह	रघुपाल सिंह
(7)	रघुपाल सिंह साठ लाल सिंह	रघुपाल सिंह
(8)	गोपाल सिंह साठ गान सिंह	गोपाल सिंह
(9)	पुताप सिंह साठ इन्द सिंह	पुताप सिंह
(10)	मोपा देवी साठ मोहन सिंह	मोपा देवी
(11)	कमला देवी साठ चन्द सिंह	कमला देवी
(12)	मोपा देवी साठ खडक सिंह	मोपा देवी
(13)	कलार साठ साठ कितर सिंह	कलार साठ
(14)	हिमाली देवी साठ बलवन्त सिंह	हिमाली देवी
(15)	कमला देवी साठ गोपाल सिंह	कमला देवी
(16)	राधा देवी साठ कलार सिंह	राधा देवी
(17)	मान साठ देवी साठ राम सिंह	मान साठ
(18)	देवी देवी साठ साठ देवी देवी	देवी देवी
(19)	मन्दा देवी साठ साठ देवी	मन्दा देवी
(20)	साकाश साठ साठ देवी	साकाश साठ

हस्ताक्षर
विमला देवी
80/- प्रधान
ग्राम पंचायत तोली
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 28/10/16 को ग्रामस्था की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तस्मि

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
22	चन्दर दत्त श्री हरि कलश	चन्दर दत्त
(23)	वसन्त कलश श्री प्रताप दत्त	व.प्र. दत्त
(24)	केलाश चन्द श्री गुरी दत्त	के.गु.
(25)	प्रकाश चन्द श्री गोवरधन	प्रकाश चन्द
(26)	श्याम दत्त श्री मधुसूदन	श्याम दत्त
(27)	हरीश चन्द श्री सुधीर	हरीश

लिखित (20)
प्रधान
50/ प्रचारित तोली
गामा गणेश (बागेश्वर)
10/06/2020

प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.....**कपकोट**.....

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण (3.255 है० आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.297 है० वन प्रत्यायत भूमि 0.735 है०, अर्थात् कुल 4.287 है० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोजक एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील कपकोट) की दिनांक **3-12-2016** की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक **3-12-2016** की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **एन. व्ही. गान्धे** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री **कृष्ण नन्द मन्ना** उपजिलाधिकारी
- 2- श्री **सतीश नाथ शिवादी** उप प्रभूमि अधिकारी
- 3- श्री **काशीराम वर्मा** सहायक सभाजि कल्याण अधिकारी
- 4- श्री **प्रकाश जोशी** सहायक सभाजि कल्याण अधिकारी

Sub Divisional Magistrate

Kapkot District

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बुलाव पत्र भेजे जाते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जलपट्टा क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.287 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोजक एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

(2)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत पार्थिव से तोली तक 7.00 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु 4.287 हे० वनभूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक जिला कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद - बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kankote (Bageshwar)
उपजिलाधिकारी/अधीक्षक

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....कपकोट

जनपद.....बागेश्वर

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी.....को..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक जिला कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद - बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kankote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....कपकोट

जनपद.....बागेश्वर

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

स्थापन :- पोखरि सुलभती

सुपस्थित सदस्य वन पंचायत

- ① सरस्वती देवी साव्यती देवी
- ② रविवी देवी रविवी पाठक
- ③ स्वीला पाठकरिवाला
- ④ शोभा देवी शोभा देवी
- ⑤ चन्द्र देवी — चन्द्र देवी
- ⑥ प्रकाश चन्द्र पाठक प्रकाश चन्द्र पाठक
- ⑦ प्रेम चन्द्र देवी — प्रेम चन्द्र देवी

संरक्षक अ. १०/११

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तांली तक 7.00 किमी० मीटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उसी भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर मुगलान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


अधिसारक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

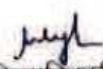

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-I
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated..21/12/16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.287 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Potting to Toll Motor Road 7.00 Km** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.287 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated- 21/12/16


District Collector
Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No.

Dated..21.12.16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified 4.287 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Pothing to Toll Motor Road 7.00 Km** It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.287 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA
YES
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of ~~Pothing~~ ^{Toll} Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the the FRA: NA


District Collector
Bageshwar
जिलाधिकारी
बागेश्वर

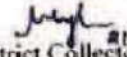
ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Mangesh Ghildiyal** I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 21/12/2016 at time 4:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Pothing/Toli** area measuring **4.287** hect for the Construction of **Pothing to Toli Motor road 7.00 Km** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


District Collector 21/12/16
Bageshwar
जिल्हाधिकारी
बागेश्वर